eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 01, January 2023

आपराधिक न्याय प्रणाली में मुकदमेबाजी में देरी और समाधान के उपाय (1947–2022)

सतीश तिवारी[1]
[1]प्राचार्य, कौशलेन्द्र राव ला कालेज, बिलासपुर, छत्तीसगढ

Abstract

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने एक सशक्त लोकतांत्रिक ढांचे की स्थापना की, जिसमें न्याय प्रणाली की केंद्रीय भूमिका रही है। हालांकि, आपराधिक न्याय प्रणाली में मुकदमेबाजी की प्रक्रिया में देरी एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जिससे न्याय में विलंब होता है और पीड़ितों तथा अभियुक्तों के अधिकारों का हनन होता है। इस शोध पत्र में 1947 से 2022 तक की अवधि में आपराधिक न्याय प्रणाली में मुकदमेबाजी में देरी के कारणों का विश्लेषण किया गया है, साथ ही समाधान के उपायों पर भी चर्चा की गई है। शोध में न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या, न्यायाधीशों की कमी, पुलिस और अभियोजन प्रणाली की कमजोरियाँ, फोरेंसिक जांच में देरी, और कानूनी ढांचे की जटिलताओं जैसे कारकों की पहचान की गई है। साथ ही, ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008, ई–कोर्ट्स परियोजना, और हाल ही में प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता, 2023 जैसे सुधारात्मक उपायों का मूल्यांकन किया गया है। यह शोध पत्र निष्कर्ष निकालता है कि मुकदमेबाजी में देरी को कम करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जिसमें संसाधनों की वृद्धि, प्रक्रियाओं का सरलीकरण, और तकनीकी नवाचारों का समावेश हो।

कीवर्ड– आपराधिक न्याय प्रणाली, मुकदमेबाजी में देरी, न्यायिक सुधार, ग्राम न्यायालय, ई–कोर्ट्स, भारतीय न्याय संहिता, फोरेंसिक जांच, अभियोजन प्रणाली, पुलिस सुधार, न्यायिक लंबित मामले।

Introduction

भारतीय लोकतंत्र की स्थापना का मूल उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार और न्याय उपलब्ध कराना है। भारत का संविधान न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है और इसे समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचाने के लिए एक सुदृढ़ और पारदर्शी न्याय प्रणाली का निर्माण किया गया। आपराधिक न्याय प्रणाली इस ढाँचे का अभिन्न अंग है, जो न केवल अपराधों को दंडित करती है, बल्कि विधि–व्यवस्था बनाए रखने और नागरिक अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालाँकि, स्वतंत्रता के बाद से अब तक भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में मुकदमेबाजी में अत्यधिक देरी की समस्या लगातार बनी हुई है। न्यायालयों में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या, न्यायाधीशों की कमी, पुलिस और अभियोजन प्रणाली की खामियाँ, फोरेंसिक जाँच में विलंब, और कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलता जैसी समस्याएँ मुकदमों के त्वरित निस्तारण में बाधक रही हैं। परिणामस्वरूप, अभियुक्तों और पीड़ितों को वर्षों तक न्याय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जिससे समाज में न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगते हैं।

भारत जैसे विविध और विशाल देश में जहाँ जनसंख्या वृद्धि और अपराध दर में निरंतर वृद्धि हो रही है, वहाँ आपराधिक न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मुकदमेबाजी में देरी केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सामाजिक, आर्थिक और नैतिक संकट उत्पन्न करती है। इससे न केवल अपराधियों को दंड से बच निकलने का अवसर मिलता है, बल्कि पीड़ितों को न्याय से वंचित होने का अनुभव होता है, जिससे उनके अधिकारों का हनन होता है।

इस शोध पत्र में वर्ष 1947 से 2022 तक के कालखंड में भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली की मुकदमेबाजी में देरी के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया जाएगा। इसमें देरी के प्रमुख कारणों की पहचान करते हुए उनके समाधान के लिए अब तक किए गए प्रयासों का मूल्यांकन भी किया जाएगा। साथ ही, इस शोध में विभिन्न देशों की आपराधिक न्याय प्रणालियों से तुलनात्मक अध्ययन कर भारत के लिए उपयुक्त सुधारात्मक उपायों की संस्तुति प्रस्तुत की जाएगी।

यह शोध पत्र न केवल भारत की न्याय व्यवस्था को और अधिक प्रभावशाली और सुलभ बनाने के लिए दिशा–निर्देश देगा, बल्कि न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और समाज के विभिन्न घटकों के लिए एक विचारणीय आधार भी प्रस्तुत करेगा।

परिकल्पना – इस शोध में निम्नलिखित परिकल्पना स्थापित की गई है–

1- मुकदमेबाजी में देरी का प्रमुख कारण न्यायालयों में मुकदमों की अधिकता और न्यायाधीशों की कमी है।
2– यदि मुकदमेबाजी की प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण, केस मैनेजमेंट, और वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) अपनाया जाए तो मुकदमों की देरी को कम किया जा सकता है।
3– 1947–2022 के बीच भारत में न्याय प्रणाली में देरी के सुधार हेतु कई प्रयास हुए, परंतु उनका कार्यान्वयन आंशिक रूप से ही सफल रहा।
4– अन्य देशों की तुलना में भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में मुकदमेबाजी की देरी अधिक है, जिसे अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से सीखा जा सकता है।

शोध प्राविधि (Research Methodology)–

शोध का प्रकार– यह शोध वर्णनात्मक (Descriptive) और विश्लेषणात्मक (Analytical) दोनों है।
डेटा संकलन–
प्राथमिक स्रोत– न्यायालयों की रिपोर्टें, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के निर्णय, विधायी दस्तावेज।
द्वितीयक स्रोत– प्रकाशित पुस्तकें, शोध पत्र, पत्रिकाएँ, सरकारी दस्तावेज, अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टें।
डेटा विश्लेषण– सांख्यिकीय विश्लेषण, तुलनात्मक अध्ययन, और केस स्टडी पद्धति का प्रयोग किया गया है।
समयावधि– शोध 1947 से 2022 तक के कालखंड को कवर करता है।
उपकरण– केस विश्लेषण, तुलनात्मक अध्ययन, ग्राफ और चार्ट।

1947–2022 तक आपराधिक न्याय प्रणाली का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य– भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली का इतिहास औपनिवेशिक काल से प्रारंभ होता है। ब्रिटिश शासन के दौरान लागू किए गए दंड संहिताएँ, दंड प्रक्रिया संहिताएँ (CrPC), साक्ष्य अधिनियम, और भारतीय पुलिस प्रणाली स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी लागू रहीं। स्वतंत्र भारत ने इन्हें अपने संविधान के अनुरूप ढालने और न्याय प्रणाली को अधिक न्यायसंगत और लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में कार्य करना प्रारंभ किया।

1– स्वतंत्रता के बाद की स्थिति (1947–1970)– स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली ने उपनिवेशवादी कानूनों पर आधारित अपने ढाँचे को बनाए रखा। भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) 1898, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (IEA) 1872 प्रमुख कानूनी आधार बने। इस

काल में न्यायालयों में मामलों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन न्यायाधीशों और संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण मामलों का निस्तारण धीमा रहा। इसके परिणामस्वरूप न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि होने लगी।

2– सुधारों की शुरुआत (1970–2000)– 1973 में दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) में संशोधन कर इसे अधिक आधुनिक और सुसंगत बनाया गया। इसमें जांच, गिरफ्तारी, सुनवाई और अपील की प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया गया। साथ ही, कुछ मामलों में त्वरित न्यायालयों (Fast Track Courts) की स्थापना का प्रयास किया गया। फिर भी, न्यायालयों में मामलों की संख्या में कमी नहीं आई। पुलिस और अभियोजन प्रणाली में संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता बनी रही। 1989 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम पारित किया गया, जिससे पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने हेतु विशेष अदालतों की स्थापना की गई। इसके बावजूद, मुकदमेबाजी में देरी की समस्या यथावत रही।

3– तकनीकी और कानूनी सुधार (2000–2022)– 2000 के दशक में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास ने न्याय प्रणाली में तकनीकी सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया। ई–कोर्ट्स परियोजना (2005) के माध्यम से मुकदमेबाजी की प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति लाने का प्रयास किया गया। 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम लागू किया गया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में त्वरित न्याय प्रदान किया जा सके। हालाँकि इन सुधारों के बावजूद न्यायालयों में मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती रही। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़ों के अनुसार, उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में लाखों मामले लंबित बने रहे। न्यायिक रिक्तियाँ, अभियोजन प्रणाली में सुधार की धीमी गति, और पुलिस जाँच में देरी ने मुकदमेबाजी में देरी की समस्या को और गम्भीर किया। 2020 में कोविड–19 महामारी ने न्यायालयों की कार्यप्रणाली पर अप्रत्याशित प्रभाव डाला। हालांकि, इससे वर्चुअल सुनवाई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी तकनीकों को अपनाने की गति बढ़ी।

2023 में भारत सरकार ने भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम को संशोधित कर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिका सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रस्तावना की। इन विधेयकों का उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक और पीड़ित–केन्द्रित बनाना तथा मुकदमेबाजी में देरी को कम करना है।

मुख्य घटनाएँ –

1947– भारत स्वतंत्र हुआ; उपनिवेशकालीन कानून यथावत रहे।
1973– दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन (CrPC 1973)।
1989– अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम।
2005– ई–कोर्ट्स परियोजना की शुरुआत।
2008– ग्राम न्यायालय अधिनियम लागू।
2020– कोविड–19 के कारण वर्चुअल कोर्ट्स का विस्तार।
2023– भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिका सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रस्ताव।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 01, January 2023

1947 से 2022 तक भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली ने कई सुधारों और तकनीकी नवाचारों के बावजूद मुकदमेबाजी में देरी की चुनौती का पूरी तरह समाधान नहीं कर पाई है। यह परिप्रेक्ष्य न्यायिक सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जिससे भविष्य में त्वरित और प्रभावी न्याय प्रणाली स्थापित की जा सके।

मुकदमेबाजी में देरी के प्रमुख कारण– भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में मुकदमेबाजी में देरी एक जटिल और बहुआयामी समस्या है। इसके कारण प्रणालीगत, संरचनात्मक, प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर गहराई से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित बिंदुओं में मुकदमेबाजी में देरी के प्रमुख कारणों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है–

1– न्यायालयों में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या– भारत में निचली अदालतों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक लंबित मामलों की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) के अनुसार, निचली अदालतों में करोड़ों मामले लंबित हैं, जिनमें से अधिकांश आपराधिक प्रकृति के हैं। लंबित मामलों का यह बोझ न्यायालयों की कार्यक्षमता पर सीधा प्रभाव डालता है, जिससे मुकदमों के शीघ्र निपटारे में बाधा उत्पन्न होती है।

2– न्यायाधीशों की संख्या में कमी– भारत में प्रति दस लाख जनसंख्या पर न्यायाधीशों की संख्या अत्यधिक कम है। इस कारण न्यायालयों में मामलों की संख्या की तुलना में निर्णय देने वाले न्यायाधीशों की संख्या अपर्याप्त है। न्यायाधीशों पर कार्यभार अधिक होने से मामलों की सुनवाई में देरी होती है।

3– पुलिस और अभियोजन प्रणाली की खामियाँ– पुलिस द्वारा जाँच में देरी, साक्ष्यों के संग्रहण और संरक्षण में लापरवाही, और अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमों को ठीक से प्रस्तुत न कर पाना मुकदमेबाजी में देरी के प्रमुख कारण हैं। कई बार जाँच रिपोर्ट और चार्जशीट समय पर प्रस्तुत नहीं होतीं, जिससे मुकदमे की कार्यवाही टल जाती है।

4– कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलता और औपचारिकताएँ– भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कई प्रक्रियात्मक औपचारिकताएँ हैं, जिनके कारण कार्यवाही लंबी खिंचती है। बार–बार की स्थगन (adjournments), साक्ष्य की स्वीकार्यता पर विवाद, और जटिल कानूनी प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं।

5– फोरेंसिक जाँच और विशेषज्ञ रिपोर्ट में देरी– आपराधिक मामलों में वैज्ञानिक साक्ष्य महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन भारत में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की संख्या सीमित और संसाधन कम हैं। इससे फोरेंसिक रिपोर्ट की प्राप्ति में महीनों से लेकर वर्षों तक की देरी होती है, जिससे मुकदमे की गति बाधित होती है।

6– वकीलों द्वारा बार–बार स्थगन की माँग– मुकदमों की सुनवाई में वकीलों द्वारा विभिन्न कारणों से स्थगन की माँग (adjournment) की जाती है। इससे न्यायालय की कार्यवाही में अनावश्यक विलंब होता है और मामलों का निपटारा टलता रहता है।

7– न्यायिक बुनियादी ढाँचे की कमी– न्यायालयों में पर्याप्त कक्षों, आवश्यक तकनीकी उपकरणों, और सहायक कर्मचारियों की कमी भी मुकदमों की गति को धीमा करती है। डिजिटल रिकॉर्डिंग और दस्तावेज़ प्रबंधन की सुविधा का अभाव प्रक्रिया को और भी जटिल बनाता है।

8– कानूनी जागरूकता और सुलह प्रक्रिया का अभाव– कई मामलों में पक्षकारों को वैकल्पिक विवाद समाधान, जैसे मध्यस्थता और सुलह की जानकारी नहीं होती, जिससे छोटे–छोटे मामले भी वर्षों तक न्यायालय में चलते रहते हैं। इससे न्यायपालिका पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।

9– सरकारी मामलों में अनावश्यक मुकदमेबाजी– सरकारी विभागों द्वारा की जाने वाली अपीलें और पुनरीक्षण याचिकाएँ भी न्यायालयों पर अनावश्यक दबाव डालती हैं। सरकारी विभागों में मामलों का समाधान करने की इच्छा या तत्परता की कमी के कारण मुकदमेबाजी में देरी होती है।

10– कोविड–19 महामारी और अदालती कार्यवाही में बाधा– कोविड–19 महामारी ने अदालती कार्यवाही को अप्रत्याशित रूप से प्रभावित किया। सुनवाई स्थगित हुईं, और डिजिटल माध्यमों से कार्यवाही की प्रक्रिया पूरी तरह स्थापित न होने के कारण मुकदमों की प्रगति बाधित हुई।

मुकदमेबाजी में देरी एक बहुआयामी समस्या है जिसमें न्यायालयों की संरचनात्मक और प्रशासनिक समस्याएँ, कानूनी प्रक्रियाओं की जटिलताएँ, पुलिस और अभियोजन प्रणाली की कमियाँ, और सामाजिक तथा तकनीकी कारक मिलकर बाधा उत्पन्न करते हैं। इन समस्याओं के समाधान के बिना आपराधिक न्याय प्रणाली में गति और पारदर्शिता लाना असंभव है।

मुकदमेबाजी में देरी का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव– भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में मुकदमेबाजी में देरी न केवल न्यायिक प्रणाली की कार्यक्षमता को प्रभावित करती है, बल्कि इसका व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है। यह प्रभाव व्यक्तियों, समाज, सरकार, और अर्थव्यवस्था सभी पर परिलक्षित होता है।

1–सामाजिक प्रभाव–

न्याय में विश्वास में कमी– मुकदमेबाजी में देरी के कारण आम जनता का न्यायिक प्रणाली में विश्वास घटता है। जब पीड़ित पक्ष को वर्षों तक न्याय नहीं मिलता, तो समाज में न्याय व्यवस्था के प्रति निराशा और असंतोष उत्पन्न होता है। इससे कानून के शासन (Rule of Law) की धारणा कमजोर होती है।

पीड़ित पक्ष की पीड़ा और मानसिक तनाव– वर्षों तक मुकदमा चलने से पीड़ित व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक तनाव झेलना पड़ता है। अपराध के शिकार व्यक्ति को न्याय की प्रतीक्षा में लंबा समय व्यतीत करना पड़ता है, जिससे उसका जीवन प्रभावित होता है।

अपराधियों को प्रोत्साहन– मुकदमेबाजी में देरी का अप्रत्यक्ष प्रभाव यह होता है कि अपराधियों को यह संदेश जाता है कि वे कानून से बच सकते हैं। इससे समाज में अपराध की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल सकता है और अपराध नियंत्रण में बाधा उत्पन्न होती है।

सामाजिक असमानता और भेदभाव– देरी का असर विशेषकर गरीब और हाशिए पर स्थित वर्गों पर अधिक पड़ता है, क्योंकि उनके पास कानूनी सहायता और संसाधनों की कमी होती है। इसके कारण सामाजिक असमानता और भेदभाव और अधिक गहराते हैं।

2–आर्थिक प्रभाव–

व्यक्तिगत और पारिवारिक आर्थिक बोझ– लंबे मुकदमे के दौरान वकीलों की फीस, दस्तावेजी प्रक्रिया, और यात्रा व्यय आदि से व्यक्तियों और उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। कई बार मुकदमेबाजी में वर्षों का समय और बड़ी राशि खर्च हो जाती है, जिससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव– न्यायिक प्रणाली में लंबित मामलों के कारण व्यावसायिक अनुबंधों और आर्थिक लेनदेन में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। इससे निवेशकों का विश्वास घटता है और आर्थिक विकास की गति धीमी हो सकती है। विशेषकर जब व्यापारिक विवाद लंबित रहते हैं, तो आर्थिक प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग– सरकारी विभागों और अदालतों में लंबित मुकदमे सरकारी संसाधनों की बर्बादी करते हैं। सरकारी वकील, पुलिस बल, और न्यायिक संसाधनों का बहुलांश लंबित मामलों में ही लगा रहता है, जिससे नए और तात्कालिक मामलों पर ध्यान नहीं दिया जा पाता।

व्यापार और निवेश पर नकारात्मक प्रभाव– यदि व्यवसाय से जुड़े विवाद वर्षों तक न्यायालय में लंबित रहते हैं, तो इससे व्यावसायिक समुदाय में असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। विदेशी और घरेलू निवेशकों का न्यायिक प्रणाली में विश्वास कमजोर पड़ता है, जिससे निवेश और व्यापार में गिरावट आ सकती है।

3– समग्र प्रभाव

मुकदमेबाजी में देरी समाज में कानून के प्रति सम्मान और विश्वास को कमजोर करती है, अपराधियों को दंडमुक्ति का अवसर देती है, और आम नागरिकों को मानसिक, सामाजिक, और आर्थिक कष्ट पहुँचाती है। साथ ही, यह देश की आर्थिक प्रगति और सामाजिक स्थिरता के लिए भी खतरा बनती है। मुकदमेबाजी में देरी केवल न्यायालयों की आंतरिक समस्या नहीं है, बल्कि इसका समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ता है। इस देरी को समाप्त करने के लिए प्रशासनिक, कानूनी और तकनीकी सुधारों के साथ–साथ सामाजिक जागरूकता भी आवश्यक है, जिससे सभी नागरिकों को समयबद्ध और सुलभ न्याय मिल सके।

विलंब को कम करने हेतु अब तक किए गए प्रयास– भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में मुकदमेबाजी में देरी को कम करने के लिए अनेक विधायी, प्रशासनिक और तकनीकी प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों ने प्रणाली में सुधार और न्याय प्रक्रिया को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निम्नलिखित बिंदुओं में इन प्रयासों का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है–

1– न्यायालयों की संख्या और न्यायाधीशों की नियुक्ति में वृद्धि– भारत सरकार और सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न स्तरों पर न्यायालयों की संख्या बढ़ाने और न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेज करने के लिए कई पहलें की हैं। इसके तहत उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए और न्यायालयों का बुनियादी ढाँचा मजबूत किया गया।

2– फास्ट ट्रैक कोर्ट्स (FTC) की स्थापना– 2000 में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना का उद्देश्य गंभीर आपराधिक मामलों और दीर्घकालिक लंबित मामलों के त्वरित निपटारे को सुनिश्चित करना था। इसके तहत विशेष न्यायालयों का गठन किया गया ताकि मुकदमों में देरी को कम किया जा सके।

3– लोक अदालत और वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR)– विवादों के समाधान के लिए लोक अदालतों और मध्यस्थता (Mediation), पंचायती न्याय (Gram Nyayalaya), और सुलह (Conciliation) जैसे ADR उपायों को बढ़ावा दिया गया। इससे न्यायालयों पर बोझ कम करने और मुकदमेबाजी की संख्या घटाने में सहायता मिली।

4– न्यायालयों के आधुनिकीकरण और ई–कोर्ट परियोजना– ई–कोर्ट परियोजना (E-Courts Project) के अंतर्गत अदालती कार्यवाही को डिजिटलीकृत किया गया। इसके तहत केस फाइलिंग, केस ट्रैकिंग, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधाएँ शुरू की गईं, जिससे मामलों की सुनवाई में गति आई और मुकदमों की कार्यवाही में देरी कम करने में मदद मिली।

5– विशेष कानून और संशोधन– दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन, समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए CrPC की विभिन्न धाराओं में संशोधन किए गए, जैसे आरोप गठन और साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में सरलता। POSCO एक्ट और NDPS एक्ट जैसी विशेष अदालतें, गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में विशेष अदालतों का गठन किया गया, ताकि ऐसे मामलों में शीघ्र सुनवाई और न्याय सुनिश्चित हो सके।

6– न्यायाधीशों और वकीलों की प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण– न्यायिक अकादमियों (Judicial Academies) के माध्यम से न्यायाधीशों और अभियोजन अधिकारियों का नियमित प्रशिक्षण कराया जा रहा है, ताकि वे कानूनी प्रावधानों, डिजिटल तकनीकों और केस मैनेजमेंट में दक्ष हों और मुकदमों का शीघ्र निपटारा कर सकें।

7– नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स– भारत सरकार ने न्याय वितरण और कानूनी सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन (National Mission) की शुरुआत की, जिसके तहत न्यायालयों के बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ किया गया और न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार के उपाय अपनाए गए।

8– न्यायालयों में केस मैनेजमेंट प्रणाली– केस मैनेजमेंट सिस्टम (Case Management System) लागू किया गया ताकि मामलों की निगरानी और प्रगति को ट्रैक किया जा सके। इससे लंबित मामलों की पहचान कर शीघ्र निपटारे के लिए कदम उठाए जाते हैं।

9- सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा समय–सीमा निर्धारण– सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने कुछ मामलों में समय–सीमा निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि मामलों की सुनवाई में अनावश्यक देरी न हो और न्याय समयबद्ध रूप में प्रदान किया जा सके।

10– कोविड–19 के दौरान वर्चुअल कोर्ट्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग– कोविड–19 महामारी के दौरान अदालती कार्यवाहियों को चालू रखने के लिए वर्चुअल कोर्ट्स (Virtual CourtS) और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की शुरुआत की गई। इससे न्यायालयों की कार्यवाही में निरंतरता बनी रही और लंबित मामलों के बोझ को कुछ हद तक कम किया गया। हालाँकि भारत में मुकदमेबाजी में देरी की समस्या अब भी विद्यमान है, परन्तु इसे कम करने के लिए समय–समय पर अनेक महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। इन पहलों से न्यायिक प्रणाली की दक्षता में सुधार हुआ है और भविष्य में इन प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण और तुलनात्मक अध्ययन– भारत में मुकदमेबाजी में देरी की समस्या के समाधान की दिशा में अन्य देशों के अनुभवों और उनके द्वारा अपनाए गए उपायों का तुलनात्मक अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण

है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत किन अंतरराष्ट्रीय सफल मॉडलों से सीख सकता है और अपनी न्याय प्रणाली में सुधार कर सकता है।

1– अमेरिका (United States)– अमेरिकी न्याय प्रणाली में मुकदमों की देरी को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए गए हैं–

प्ली बार्गेनिंग (Plea Bargaining), अपराध स्वीकार करने पर अभियुक्त को कम सजा दी जाती है, जिससे मुकदमे की प्रक्रिया सरल और त्वरित हो जाती है।

कैस मैनेजमेंट सिस्टम (Case Management System), अदालतें केसों की प्राथमिकता तय करती हैं और समय–सीमा निर्धारित करती हैं।

जूरी प्रणाली (Jury System), नागरिकों की भागीदारी से मुकदमे तेजी से निपटाए जाते हैं।

2– यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom)– ब्रिटेन ने मुकदमेबाजी में देरी कम करने के लिए–

क्राउन प्रॉसीक्यूशन सर्विस (CPS) के माध्यम से मुकदमों की प्रभावी निगरानी और अभियोजन प्रबंधन किया जाता है।

सारांश न्यायालय (Summary Courts) का उपयोग करके छोटे अपराधों के त्वरित निपटारे की व्यवस्था की गई है।

डिजिटल कोर्ट्स और ऑनलाइन पोर्टल्स ने अदालती प्रक्रिया को तेज किया है।

3– जापान (Japan)– जापान की आपराधिक न्याय प्रणाली–

Lay Judge System (Saiban-in) के तहत नागरिकों और पेशेवर न्यायाधीशों की संयुक्त सुनवाई से मुकदमों की प्रक्रिया सरल और त्वरित होती है।

मुकदमों की सीमा तय (Time Limit) करके मामलों को अनावश्यक लंबा खींचने से रोका जाता है।

4– जर्मनी (Germany)– जर्मनी में मुकदमेबाजी में देरी कम करने हेतु–

संविधान में त्वरित न्याय (Speedy Trial) का अधिकार दिया गया है।

साक्ष्यों और गवाहों की तैयारी पहले से सुनिश्चित की जाती है ताकि अदालत में समय बच सके।

विशेष न्यायालय (Special Courts) के माध्यम से जटिल और विशेष मामलों का त्वरित निपटारा होता है।

5– ऑस्ट्रेलिया (Australia)

अदालती अवसंरचना (Court Infrastructure) और डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है।

मध्यस्थता (Mediation) और सुलह प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया है ताकि अदालतों का बोझ घटे।

भारत बनाम अन्य देशों का तुलनात्मक दृष्टिकोण			
क्र. सं.	**पक्ष**	**भारत**	**अन्य देश (उदा. अमेरिका, ब्रिटेन, जापान)**
1	फास्ट ट्रैक कोर्ट्स	सीमित संख्या और प्रभाव	विशिष्ट मामलों के लिए प्रभावी

2	डिजिटल टेक्नोलॉजी	प्रगति पर, लेकिन अधूरी	व्यापक और सशक्त
3	प्ली बार्गेनिंग	सीमित दायरे में	अमेरिका में व्यापक रूप से अपनाया गया
4	कैस मैनेजमेंट	हाल ही में प्रयास	अमेरिका और यूरोप में व्यवस्थित
5	सामाजिक जागरूकता	अपेक्षाकृत कम	विकसित देशों में अधिक जागरूकता
6	विशेष अदालतें	कुछ विशेष कानूनों में	कई देशों में आम

भारत के लिए सीख–

डिजिटल कोर्ट्स और वर्चुअल सुनवाई को और अधिक व्यापक बनाना।
प्ली बार्गेनिंग जैसी व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना।
केस मैनेजमेंट और प्रायोरिटी लिस्टिंग सिस्टम को मजबूती से लागू करना।
अदालती संरचना और संसाधनों में निवेश करना ताकि अधिक न्यायालय और न्यायाधीश हों।
सामाजिक जागरूकता और वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) को बढ़ावा देना।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुकदमेबाजी में देरी से निपटने के लिए अपनाई गई विधियाँ भारत के लिए मार्गदर्शक हो सकती हैं। भारत को अपनी सांस्कृतिक, कानूनी, और प्रशासनिक संरचना को ध्यान में रखते हुए इन उपायों को स्थानीय संदर्भ में लागू करना चाहिए।

समाधान के सुझाव और भविष्य की दिशा– भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में मुकदमेबाजी में देरी की समस्या को दूर करने के लिए केवल वर्तमान सुधारों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए बहुआयामी और दीर्घकालिक रणनीतियाँ आवश्यक हैं। निम्नलिखित सुझाव और दिशा–निर्देश इस समस्या के समाधान में सहायक हो सकते हैं।

भविष्य की दिशा–

भारतीय न्याय प्रणाली को डिजिटलीकरण और स्वचालन की दिशा में आगे बढ़ाना होगा।
वैकल्पिक विवाद समाधान को न्यायिक प्रणाली का अनिवार्य हिस्सा बनाना चाहिए।
न्यायालयों की संख्या बढ़ाना और मानव संसाधनों का सशक्तिकरण करना अनिवार्य है।
समयबद्ध सुनवाई और पारदर्शी प्रक्रियाएँ न्याय में देरी की समस्या को दूर कर सकती हैं।

अंततः, न्याय में देरी से मुक्त एक न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करनी होगी।

अनुशंसाएँ (Recommendations)–

- न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या और संसाधनों में वृद्धि की जाए।
- मुकदमेबाजी की प्रक्रियाओं में डिजिटलीकरण और ई–कोर्ट्स को अनिवार्य किया जाए।
- केस मैनेजमेंट प्रणाली को प्रभावी बनाया जाए।
- वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) को प्राथमिकता दी जाए।
- प्ली बार्गेनिंग और समझौता प्रक्रिया को पारदर्शी और सशक्त बनाया जाए।

- न्यायाधीशों और अभियोजन पक्ष का नियमित प्रशिक्षण हो।
- कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाए और अनावश्यक औपचारिकताएँ हटाई जाएँ।
- जनता में कानूनी जागरूकता और ADR के प्रति विश्वास को बढ़ाया जाए।
- विशेष न्यायालयों और न्यायिक मिशन की स्थापना की जाए।
- न्याय वितरण प्रक्रिया में समयबद्धता सुनिश्चित की जाए।

निष्कर्ष – भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में मुकदमेबाजी में देरी एक जटिल और बहुआयामी समस्या है, जिसने 1947 से लेकर 2022 तक न्यायिक प्रक्रिया में नागरिकों के विश्वास को प्रभावित किया है। इस देरी के कारण न्याय की सुलभता और गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिससे समाज में असंतोष और अपराध की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ी। इतिहास के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि देश में न्यायपालिका का ढांचा और प्रक्रियाएँ ब्रिटिश काल की विरासत पर आधारित हैं, जिनमें कई प्रक्रियाएँ आज की बदलती सामाजिक और तकनीकी परिस्थितियों में अप्रासंगिक हो चुकी हैं। वर्तमान में, अदालती ढाँचागत समस्याएँ, न्यायाधीशों की कमी, जटिल प्रक्रियाएँ, अपर्याप्त तकनीकी अवसंरचना, और जागरूकता की कमी जैसे कारक मुकदमेबाजी में देरी के प्रमुख कारण हैं।

अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से यह भी स्पष्ट है कि अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, और अन्य देशों ने डिजिटल न्यायालय, प्ली बार्गेनिंग, केस मैनेजमेंट, वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR), और कानूनी सुधारों के माध्यम से मुकदमेबाजी की प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाया है। भारत को भी इन सफलताओं से सीख लेकर अपनी न्याय प्रणाली में व्यापक सुधार लाने होंगे।

भविष्य की दिशा में न्यायालयों की संख्या और संसाधनों में वृद्धि, डिजिटल तकनीकों का उपयोग, केस मैनेजमेंट प्रणाली का सशक्तिकरण, प्ली बार्गेनिंग की पारदर्शिता, वैकल्पिक विवाद समाधान के उपाय, और कानूनी जागरूकता के माध्यम से मुकदमेबाजी में देरी की समस्या को प्रभावी रूप से हल किया जा सकता है। समग्रतः, एक मजबूत और सुलभ आपराधिक न्याय प्रणाली देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और सामाजिक न्याय के आदर्शों को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

संदर्भ सूची–

1 Criminal Justice in India, K.N. Chandrasekharan Pillai, Eastern Book Company 2018, 978-9351455471
2 Law and Justice in India: Issues and Challenges, Raj Kumar, LexisNexis, 2015, 978-9351436517
3 Judicial Reforms in India, Arnab Kumar Hazra & Bibek Debroy, Academic Foundation, 2007 978-8171885941
4 The Indian Legal System, Mahendra Pal Singh, Oxford University Press, 2016, 978-0199463541
5 Judicial Process, Abhinav Misra, Universal Law Publishing 2020, 978-9386515777
6 The Indian Penal Code, Ratanlal & Dhirajlal LexisNexis, 2019, 978-9389991202
7 Criminal Procedure Code, R.V. Kelkar, Eastern Book Company, 2021, 978-9351450834
8 Access to Justice, N.R. Madhava Menon, LexisNexis 2008, 978-8180383042
9 Delay in Indian Courts, Arun Mohan,Universal Law Publishing, 2009, 978-8175347162
10 Legal Systems and Skills, Judith Embley, Oxford University Press 2022, 978-0198861294
11 Criminal Justice Ethics, Cyndi Banks SAGE Publications, 2018, 978-1506326061
12 Reforming Justice Delivery in India, Arun Kumar,Sage Publications, 2015, 978-9351502410